# सुगम न्याय का सेतु : स्थायी लोक अदालते
# एक संक्षिप्त मार्गदर्शिका

## Bridge to Accessible Justice : Permanent Lok Addalats
## A Concise Guide

# Permanent Lok Adalats:
# Making Justice Accessible to the Citizens

## स्थायी लोक अदालतें (PLA)
## आमजन के लिए सरल, त्वरित और सुलभ न्याय

NALSA Helpline : 15100
RSLSA Helpline : 9928900900

लोक उपयोगी सेवाओं से सम्बंधित समस्याओं
के निराकरण के लिए
समर्पित मोबाइल नम्बर : **9119365734**

**Rajasthan State Legal Services Authority**
**राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण**

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
न्याय रो सारथी
अधिकार आपका-कर्तव्य हमारा

# संदेश

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित स्थायी लोक अदालतों पर आधारित यह पुस्तिका 09 नवम्बर 2025, विधिक सेवा दिवस के 30 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रकाशित की जा रही है।

स्थायी लोक अदालतें न्याय व्यवस्था के उन मूलभूत सिद्धांतों को सुदृढ़ करती हैं जिनमें निष्पक्षता, सुगमता, त्वरितता और मानवीयता निहित हैं। लोक उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों के पूर्व–विवाद निवारण के क्षेत्र में इन संस्थाओं ने व्यावहारिक एवं प्रभावी समाधान प्रदान करते हुए एक भरोसेमंद मंच के रूप में महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। सुलह और निर्णय–दोनों अधिकारों का यह संतुलित संयोजन विवादों को प्रारम्भिक स्तर पर ही समाप्त करने में सहायक होता है, जिससे न्याय प्रणाली पर बोझ कम होता है और जनता का विश्वास बढ़ता है।

इस पुस्तिका का उद्देश्य स्थायी लोक अदालतों की कार्यप्रणाली, अधिकार–क्षेत्र, प्रमुख विशेषताएँ, लाभ, तथा रालसा द्वारा अपनाए जा रहे नवोन्मेषी प्रयासों की सुस्पष्ट एवं सहज जानकारी आमजन, विभागों और सेवा प्रदाताओं तक पहुँचाना है। यह प्रकाशन नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने और पूर्व–विवाद समाधान की संस्कृति को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विधिक सेवा दिवस के इस अवसर पर हम इस संकल्प को पुनः दोहराते हैं कि न्याय को सुलभ, सरल, किफायती और समयबद्ध रूप में उपलब्ध कराना हमारा निरंतर लक्ष्य रहेगा। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिका नागरिकों को स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से उपलब्ध जन–हितैषी एवं व्यावहारिक समाधान का लाभ लेने के लिए प्रेरित करेगी।

मैं, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अधिकारियों, कर्मचारियों और सहयोगी संस्थानों के समर्पित प्रयासों के लिए हृदय से आभार और प्रशंसा व्यक्त करता हूँ।

**संजीव प्रकाश शर्मा**

**– कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय**

**एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राज. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA)**

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
न्याय री सारथी
अधिकार आपका-कर्तव्य हमारा

# संदेश

09 नवम्बर 2025, विधिक सेवा दिवस के 30 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर, लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित स्थायी लोक अदालतों पर आधारित इस पुस्तिका का प्रकाशन मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। स्थायी लोक अदालतें हमारे न्याय तंत्र का एक अत्यंत प्रभावी और संवेदनशील तंत्र हैं, जो आमजन को सरल, सुगम और कम खर्चीला पूर्व–विवाद समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निरंतर कार्यरत हैं।

RSLSA का प्रयास हमेशा यही रहा है कि लोक उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों में नागरिकों को त्वरित राहत मिले और वाद–विवाद बढ़ने से पहले ही न्यायसंगत समाधान प्राप्त हो। यह पुस्तिका इसी दिशा में जागरूकता बढ़ाने और जनता को सरल भाषा में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है।

मैं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी अधिकारीगण श्री कमल छंगानी, सुश्री वंदना राठौड़, श्री अजय कुमार, श्री लोकेन्द्र सिंह शेखावत, डॉ. प्रियंका पारीक, श्रीमती सावित्री सिंह, श्री प्रदीप कुमावत, श्रीमती रश्मि नवल के सार्थक सहयोग, अनुशासित कार्यशैली और उत्कृष्ट टीमवर्क के लिए अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से, मैं उप सचिव, श्रीमती रश्मि नवल के अथक परिश्रम, रचनात्मक दृष्टिकोण तथा पुस्तिका, जन–जागरूकता सामग्री एवं विभिन्न सूचना–पोस्टरों के समन्वयन में निरंतर प्रयासों के लिए उनका गहन आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने इस संपूर्ण कार्य को समयबद्ध, सुव्यवस्थित और अत्यंत गुणवत्तापूर्ण तरीके से तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिका आमजन, विभागों एवं सेवा प्रदाताओं के लिए उपयोगी मार्गदर्शिका सिद्ध होगी और स्थायी लोक अदालतों से जुड़ी सुविधाओं का व्यापक रूप से लाभ उठाने हेतु प्रेरित करेगी।

**हरी ओम अत्री**
**– सदस्य सचिव,**
**राज. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA)**

# Introduction

**Permanent Lok Adalats (PLA) are specifically established for the quick, simple, and effective resolution of disputes related to public utility services.**

**Their primary objective is to ensure that the complaints of the common people reach a fair and satisfactory resolution without unnecessary delays.**

**This booklet has been prepared to familiarize the public with the PLA system and to facilitate its utilization.**

## Chapter 1

## Permanent Lok Adalat (PLA) — An Introduction

### What is PLA?

- A permanent judicial institution established under the Legal Services Authorities Act, 1987.
- Its purpose is to provide simple, low-cost, and speedy resolution of disputes arising in public utility services for citizens.

### Structure

- Chairperson: A former District Judge or judicial officer of equivalent rank.
- Two Members: Experts in public utility sectors.

### Key Features

- A permanent institution operational throughout the year.
- Applications can be filed without the need of a lawyer.
- Free from technical formalities and a user-friendly process.

# प्रस्तावना

स्थायी लोक अदालतें (PLA) सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों के त्वरित, सरल और प्रभावी समाधान के लिए विशेष रूप से गठित की गई हैं।

इनका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आमजन की शिकायतें बिना अनावश्यक देरी के निष्पक्ष एवं संतोषजनक निपटान तक पहुँचें।

यह पुस्तिका जनता को **PLA** व्यवस्था से परिचित कराने तथा इसका लाभ उठाने में सहूलियत प्रदान करने हेतु तैयार की गई है।

अध्याय 1

## स्थायी लोक अदालत (PLA) – एक परिचय

### PLA क्या है?

- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत गठित एक स्थायी न्यायिक संस्था।
- इसका उद्देश्य है, नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं में उत्पन्न विवादों का सरल, कम खर्चीला और शीघ्र समाधान प्रदान करना।

### संरचना

- अध्यक्ष : पूर्व जिला न्यायाधीश या समकक्ष स्तर का न्यायिक अधिकारी।
- दो सदस्य : सार्वजनिक उपयोगिता क्षेत्रों के विशेषज्ञ।

### प्रमुख विशेषताएँ

- स्थायी एवं वर्षभर कार्यरत संस्था।
- बिना वकील भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
- तकनीकी औपचारिकताओं से मुक्त और यूज़र–फ्रेंडली प्रक्रिया।

Chapter 2

## Which Public Utility Services Fall Under PLA's Jurisdiction?

**PLA hears disputes related to the following services:**

**(1) Water Supply**

- Prolonged non-availability of water
- Errors in meters/bills
- Supply of contaminated water

**(2) Electricity Supply**

- Excessively high bills
- Frequent power outages
- Delays in new connections

**(3) Transport Services (Government Buses / Rail Services)**

- No seat available despite having a ticket
- Irregularity in service
- Damage to luggage during travel

**(4) Health Services (Government Hospitals)**

- Delays in treatment/medicines
- Lack of essential facilities
- Gross negligence

**(5) Housing and Urban Services**

- Problems related to sewerage/cleaning
- Faulty street lights
- Irregularities in housing matters

**(6) Banking and Insurance Services**

- Serious errors in account operations
- Unreasonable delays in loan processing
- Insurance claims not received on time

**(7) Other Services**

- LPG
- Urban sanitation
- Waste management, etc.

अध्याय 2

## किन–किन सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं पर PLA का अधिकार है?''

**PLA निम्न सेवाओं से जुड़े विवादों की सुनवाई करती है :**

### (1) जल आपूर्ति

- लंबे समय तक पानी न मिलना
- मीटर/बिल में त्रुटि
- दूषित जल की आपूर्ति

### (2) बिजली आपूर्ति

- अत्यधिक बिल
- बार–बार बिजली बाधित होना
- नए कनेक्शन में देरी

### (3) परिवहन सेवाएँ (सरकारी बसें/रेल सेवाएँ)

- टिकट होने के बावजूद सीट न मिलना
- सेवा में अनियमितता
- यात्रा के दौरान सामान क्षतिग्रस्त होना

### (4) स्वास्थ्य सेवाएँ (सरकारी अस्पताल)

- उपचार/दवाओं में देरी
- आवश्यक सुविधाओं का अभाव
- गंभीर लापरवाही

### (5) आवास व शहरी सेवाएँ

- सीवरेज/सफाई संबंधी समस्याएँ
- स्ट्रीट लाइट खराब
- आवास संबंधित अनियमितताएँ

### (6) बैंकिंग व बीमा सेवाएँ

- खाता संचालन में गंभीर त्रुटि
- ऋण प्रक्रिया में अनुचित विलंब
- बीमा दावा समय पर न मिलना

### (7) अन्य सेवाएँ

- LPG
- शहरी स्वच्छता
- कचरा प्रबंधन आदि

## Chapter 3

## Procedure in PLA — Simple and Transparent

### (1) Filing an Application

- A citizen can submit a simple written application to the PLA.
- Hiring a lawyer is not mandatory.

### (2) Presence of Both Parties

- The PLA summons both the complainant and the relevant department/service provider for the hearing.
- Necessary documents and facts are presented.

### (3) Attempt at Conciliation

- In the initial stage, the PLA attempts conciliation.
- If successful, the agreement is recorded in writing.

### (4) Final and Binding Decision

- If conciliation fails, the PLA delivers a final decision (Award) based on facts and equitable grounds.
- This decision is final and binding, with no provision for appeal in any other court.

## Chapter 4

## Why is PLA Useful for the Common Public?

### Simple Procedure

- No lengthy legal complexities—a common citizen can clearly present their case.

### Minimal Cost

- No need for large court fees or professional expenses.

### Quick Resolution

- Cases do not drag on for years—conciliation or final decision happens on the same platform.

### Accountability in Government Services

- Prompt attention to delays or negligence in various public departments.

अध्याय 3

## PLA में प्रक्रिया – सरल एवं पारदर्शी

### (1) आवेदन प्रस्तुत करना

- नागरिक साधारण लिखित आवेदन PLA में प्रस्तुत कर सकता है।
- वकील रखने की अनिवार्यता नहीं है।

### (2) दोनों पक्षों की उपस्थिति

- PLA शिकायतकर्ता एवं संबंधित विभाग/सेवा प्रदाता दोनों को सुनवाई हेतु बुलाती है।
- आवश्यक दस्तावेज व तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं।

### (3) सुलह का प्रयास

- प्राथमिक चरण में PLA सुलह (conciliation) का प्रयास करती है।
- सफल होने पर समझौता लिखित रूप में दर्ज किया जाता है।

### (4) अंतिम एवं बाध्यकारी निर्णय

- सुलह न होने पर PLA तथ्यों एवं न्यायसंगत आधारों पर अंतिम निर्णय (Award) सुनाती है।
- यह निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होता है तथा किसी अन्य न्यायालय में अपील का प्रावधान नहीं है।

---

अध्याय 4

## PLA — आमजन के लिए क्यों उपयोगी?''

### सरल प्रक्रिया

- लंबी कानूनी पेचीदगियाँ नहीं – साधारण नागरिक भी अपनी बात स्पष्ट रूप से रख सकता है।

### न्यूनतम खर्च

- किसी बड़े न्यायालय शुल्क या व्यावसायिक खर्च की आवश्यकता नहीं।

### त्वरित निपटान

- मामला वर्षों नहीं चलता–इसी मंच पर सुलह अथवा अंतिम निर्णय।

### सरकारी सेवाओं में उत्तरदायित्व

- विभिन्न सार्वजनिक विभागों में होने वाली देरी या लापरवाही पर त्वरित संज्ञान।

## Chapter 5

## Who Can File a Complaint?

- Any citizen of the state
- Consumers from rural/urban areas
- Women, elderly, laborers, farmers
- Any individual who is a beneficiary of public utility services.

## Chapter 6

## RSLSA's Special 3-Month Public Awareness and Complaint Resolution Campaign "न्याय आपके द्वार – लोक उपयोगिता समस्याओं का त्वरित समाधान"

The Rajasthan State Legal Services Authority (RSLSA) has launched a special campaign across the state to enhance the reach and effectiveness of PLA.

### Key Features

- The campaign will run continuously for three months.
- Complaints will also be accepted via phone, WhatsApp, and email.
- PLVs will contact complainants to gather details.
- All complaints will be forwarded to Panel lawyer / LADC for prompt hearings.

### Objective

- Timely, simple, and satisfactory resolutions.

## अध्याय 5

## कौन कर सकता है शिकायत?

- राज्य का कोई भी नागरिक
- ग्रामीण / शहरी क्षेत्र का उपभोक्ता
- महिला, वृद्ध, श्रमिक, किसान
- कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक सेवा का लाभार्थी है

## अध्याय 6

## RSLSA का विशेष 3–महीने का जन–जागरूकता एवं शिकायत समाधान अभियान "न्याय आपके द्वार – लोक उपयोगिता समस्याओं का त्वरित समाधान"

**राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) ने राज्यभर में PLA की पहुँच और प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु एक विशेष अभियान आरंभ किया है।**

### प्रमुख विशेषताएँ

- अभियान तीन महीनों तक सतत चलेगा।
- शिकायतें फोन, व्हाट्सऐप व ई–मेल द्वारा भी स्वीकार की जाएँगी।
- PLVs शिकायतकर्ताओं से संपर्क स्थापित कर विवरण प्राप्त करेंगे।
- सभी शिकायतों को त्वरित सुनवाई हेतु Panel lawyer / LADC को भेजा जाएगा।

### उद्देश्य –

- समयबद्ध, सरल एवं संतोषजनक समाधान।

## Chapter 7

### Conclusion

Permanent Lok Adalats are highly effective instruments for providing quick, just, and accessible resolution of disputes related to public services.

They are truly a powerful system for "bringing justice to the common people."

## Chapter 8

### Contact Information

- NALSA Helpline : 15100
- RSLSA Helpline : 9928900900
- Email: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com
- WhatsApp Number: **9119365734**

  **(Dedicated Mobile Number for the Campaign-**''न्याय आपके द्वार – लोक उपयागिता समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान''**)**
- District Legal Services Authority Office
- Permanent Lok Adalat (PLA) Office

## अध्याय 7

### निष्कर्ष

स्थायी लोक अदालतें, सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित विवादों का त्वरित, न्यायसंगत और सुलभ समाधान प्रदान करने में अत्यंत प्रभावी साधन हैं।

ये वास्तव में "न्याय को आमजन तक पहुँचाने" की सशक्त व्यवस्था हैं।

## अध्याय 8

### संपर्क सूत्र

- NALSA हेल्पलाइन : 15100
- RSLSA हेल्पलाइन : 9928900900
- ई–मेल : rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com
- व्हाट्सऐप नंबर : **9119365734**

  **(''न्याय आपके द्वारा – लोक उपयागिता समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान'' अभियान हेतु समर्पित मोबाइल नम्बर)**
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय
- स्थायी लोक अदालत (PLA) कार्यालय

## Legal Provisions

**The Permanent Lok Adalat is established under Chapter VI-A of the Legal Services Authorities Act, 1987. Below are all the relevant sections from 22A to 22E, which pertain to its definition, establishment, procedure, jurisdiction, and award. These are based on the original English text of the Act.**

### Section 22A: Definitions

In this Chapter and for the purposes of sections 22 and 23, unless the context otherwise requires,— (a) "Permanent Lok Adalat" means a Permanent Lok Adalat established under sub-section (1) of section 22B; (b) "public utility service" means any— (i) transport service for the carriage of passengers or goods by air, road or water; or (ii) postal, telegraph or telephone service; or (iii) supply of power, light or water to the public by any establishment; or (iv) system of public conservancy or sanitation; or (v) service in hospital or dispensary; or (vi) insurance service, and includes any service which the Central Government or the State Government, as the case may be, in the public interest, by notification, declare to be a public utility service for the purposes of this Chapter.

### Section 22B: Establishment of Permanent Lok Adalats

(1) Notwithstanding anything contained in section 19, the Central Authority or, as the case may be, every State Authority shall, by notification, establish Permanent Lok Adalats at such places and for exercising such jurisdiction in respect of one or more public utility services and for such areas as may be specified in the notification.

(2) Every Permanent Lok Adalat established for an area notified under sub-section (1) shall consist of— (a) a person who is, or has been, a district judge or additional district judge or has held judicial office higher in rank than that of a district judge, shall be the Chairman of

# विधिक प्रावधान

स्थायी लोक अदालत विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अध्याय VI-A के अंतर्गत स्थापित की जाती है। नीचे धारा 22A से 22E तक की सभी प्रासंगिक धाराएं दी गई हैं, जो इसकी परिभाषा, स्थापना, कार्यप्रणाली, अधिकारिता और अवार्ड से संबंधित हैं। ये मूल अधिनियम के अनुसार हिंदी अनुवाद पर आधारित हैं।

### धारा 22A: परिभाषाएँ

इस अध्याय में, जब तक संदर्भ अन्यथा न मांगे— (a) "स्थायी लोक अदालत" से धारा 22B के उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित स्थायी लोक अदालत अभिप्रेत है; (b) "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" से अभिप्रेत है कोई भी— (i) हवाई, सड़क या जल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन की परिवहन सेवा; (ii) डाक, तार या टेलीफोन सेवा; (iii) जनता को बिजली, प्रकाश या जल की आपूर्ति; (iv) सार्वजनिक सफाई या स्वच्छता प्रणाली; (v) अस्पताल या औषधालय में सेवा; (vi) बीमा सेवा, तथा इसमें वह कोई भी सेवा सम्मिलित है जिसे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार लोक हित में अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित करे।

### धारा 22B: स्थायी लोक अदालतों की स्थापना

(1) केंद्रीय प्राधिकरण या प्रत्येक राज्य प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा ऐसी स्थानों पर और एक या अधिक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने और ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए स्थायी लोक अदालतें स्थापित करेगा।

(2) प्रत्येक स्थायी लोक अदालत में— (a) कोई व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहा हो या जिला न्यायाधीश के पद से उच्चतर न्यायिक पद धारण किया हो, अध्यक्ष होगा; तथा (b) दो अन्य व्यक्ति जो सार्वजनिक

the Permanent Lok Adalat; and (b) two other persons having adequate experience in public utility service to be nominated by the Central Government or, as the case may be, the State Government on the recommendation of the Central Authority or, as the case may be, the State Authority, appointed by the Central Authority or, as the case may be, the State Authority, establishing such Permanent Lok Adalat and the other terms and conditions of the appointment of the Chairman and other persons referred to in clause (b) shall be such as may be prescribed by the Central Government.

### Section 22C: Cognizance of cases by Permanent Lok Adalat

(1) Any party to a dispute may, before the dispute is brought before any court, make an application to the Permanent Lok Adalat for the settlement of dispute: Provided that the Permanent Lok Adalat shall not have jurisdiction in respect of any matter relating to an offence not compoundable under any law: Provided further that the Permanent Lok Adalat shall also not have jurisdiction in the matter where the value of the property in dispute exceeds 1 Crore rupees: Provided also that the Central Government, may by notification, increase the limit of 1 Crore rupees specified in the second proviso in consultation with the Central Authority.

(2) After an application is made under sub-section (1) to the Permanent Lok Adalat, no party to that application shall invoke jurisdiction of any court in the same dispute.

(3) Where an application is made to a Permanent Lok Adalat under sub-section (1), it— (a) shall direct each party to the application to file before it a written statement, stating therein the facts and nature of dispute under the application, points or issues in such dispute and grounds relied in support of, or in opposition to, such points or issues, as the case may be, and such party may supplement such statement with any document and other evidence which such party deems appropriate in proof of such facts and grounds and shall send a copy of such statement together with a copy of such document and other evidence, if any, to each of the parties to the application; (b) may require any party to the

उपयोगिता सेवा में पर्याप्त अनुभव रखते हों, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण की सिफारिश पर नामित, द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के अन्य शर्तें केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएंगी।

### धारा 22C: स्थायी लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान

(1) किसी विवाद का कोई पक्षकार, विवाद को न्यायालय के समक्ष लाने से पूर्व, स्थायी लोक अदालत के समक्ष आवेदन कर सकता है: परंतु स्थायी लोक अदालत को समझौता योग्य न होने वाले अपराध से संबंधित मामले या विवादित संपत्ति के मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक वाले मामले में अधिकारिता नहीं होगी (केंद्रीय सरकार सीमा बढ़ा सकती है)।

(2) आवेदन के बाद, पक्षकार न्यायालय की अधिकारिता आमंत्रित नहीं करेगा।

(3) स्थायी लोक अदालत पक्षकारों से लिखित कथन, दस्तावेज और साक्ष्य मांगेगी तथा अतिरिक्त कथन की आवश्यकता कर सकती है।

application to file additional statement before it at any stage of the conciliation proceedings; (c) shall communicate any document or statement received by it from any party to the application to the other party, to enable such other party to present reply thereto.

(4) When statement, additional statement and reply, if any, have been filed under sub-section (3), to the satisfaction of the Permanent Lok Adalat, it shall conduct conciliation proceedings between the parties to the application in such manner as it thinks appropriate taking into account the circumstances of the dispute.

(5) The Permanent Lok Adalat shall, during conduct of conciliation proceedings under sub-section (4), assist the parties in their attempt to reach an amicable settlement of the dispute in an independent and impartial manner.

(6) It shall be the duty of the every party to the application to cooperate in good faith with the Permanent Lok Adalat in conciliation of the dispute relating to the application and to comply with the direction of the Permanent Lok Adalat to produce evidence and other related documents before it.

(7) When a Permanent Lok Adalat, in the aforesaid conciliation proceedings, is of opinion that there exist elements of settlement in such proceedings which may be acceptable to the parties, it may formulate the terms of a possible settlement of the dispute and give to the parties concerned for their observations and in case the parties reach at an agreement on the settlement of the dispute, they shall sign the settlement agreement and the Permanent Lok Adalat shall pass an award in terms thereof and furnish a copy of the same to each of the parties concerned.

(8) Where the parties fail to reach at an agreement under sub-section (7), the Permanent Lok Adalat shall, if the dispute does not relate to any offence, decide the dispute.

### Section 22D: Procedure of Permanent Lok Adalat

The Permanent Lok Adalat shall, while conducting conciliation proceedings or deciding a dispute on merit under this Act, be guided by the principles of natural justice, objectivity, fair play,

(4) सुलह कार्यवाही पक्षकारों के बीच उचित रीति से आयोजित की जाएगी।

(5) पक्षकारों को सौहार्दपूर्ण निपटारे में सहायता प्रदान की जाएगी।

(6) पक्षकारों का कर्तव्य होगा कि वे सद्भावपूर्ण सहयोग करें और निर्देशों का पालन करें।

(7) यदि सुलह संभव हो, तो शर्तें प्रतिपादित की जाएंगी और समझौते पर अवार्ड पारित होगा।

(8) समझौता न होने पर, अपराध-रहित विवाद का निर्णय किया जाएगा।

### धारा 22D: स्थायी लोक अदालत की कार्यवाही

स्थायी लोक अदालत सुलह या निर्णय देते समय प्राकृतिक न्याय, निष्पक्षता, समता

equity and other principles of justice, and shall not be bound by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872).

### Section 22E: Award of Permanent Lok Adalat to be final

(1) Every award of the Permanent Lok Adalat under this Act made either on merit or in terms of a settlement agreement shall be final and binding on all the parties thereto and on persons claiming under them.

(2) Every award of the Permanent Lok Adalat under this Act shall be deemed to be a decree of a civil court.

(3) The award made by the Permanent Lok Adalat under this Act shall be by a majority of the persons constituting the Permanent Lok Adalat.

(4) Every award made by the Permanent Lok Adalat under this Act shall be final and shall not be called in question in any original suit, application or execution proceeding.

(5) The Permanent Lok Adalat may transmit any award made by it to a civil court having local jurisdiction and such civil court shall execute the order as if it were a decree made by that court.

और अन्य न्याय सिद्धांतों से निर्देशित होगी तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 से बाध्य नहीं होगी।

### धारा 22E: स्थायी लोक अदालत का अवार्ड अंतिम होगा

(1) प्रत्येक अवार्ड पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(2) अवार्ड सिविल न्यायालय के डिक्री के समान माना जाएगा।

(3) अवार्ड बहुमत से पारित होगा।

(4) अवार्ड अंतिम होगा तथा मूल वाद या निष्पादन में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(5) अवार्ड सिविल न्यायालय को प्रेषित कर निष्पादित कराया जा सकता है।

## Key Case Law on Permanent Lok Adalats (PLAs) Developed by Indian Courts

The jurisprudence surrounding Permanent Lok Adalats has gradually shaped their contours, clarified their authority, and strengthened their role as a pre-litigation dispute resolution forum for public utility services. The following landmark decisions provide the backbone of PLA functioning today.

### 1. InterGlobe Aviation Ltd. v. N. Satchidanand, (2011) 7 SCC 463

The Supreme Court reaffirmed:

- PLAs can decide disputes only regarding public utility services listed under Section 22A of the Legal Services Authorities Act.
- Once conciliation fails, PLAs have limited adjudicatory power — but only in such notified services.
- PLAs must follow the statutory scheme: conciliation first, adjudication only if settlement fails.

  **Why this matters:** This judgment draws the Lakshman Rekha for PLAs, ensuring they do not overstep into general civil jurisdiction.

### 2. United India Insurance Co. Ltd. v. Ajay Sinha, (2008) 7 SCC 454

The Court held:

- PLA awards are final and binding, with no appeal provided under the Act.
- The PLA acts within a hybrid sphere-part conciliatory, part adjudicatory-but remains outside the strict technicalities of a court.

  **Why this matters:** This reinforced the authority and finality of PLA decisions, strengthening confidence in their outcomes.

### 3. Bar Council of India v. Union of India, (2012) 8 SCC 243

Supreme Court clarified two major points:

- Lawyers are not barred from appearing before PLAs.
- The PLA mechanism does not dilute the legal professional's role; it merely creates an accessible avenue for citizens.

  **Why this matters:** This settled confusion and ensured a balanced approach- making PLAs public-friendly without excluding legal expertise.

## स्थायी लोक अदालतों पर प्रमुख न्यायिक निर्णय (Case Laws)

भारतीय न्यायालयों द्वारा दिए गए कई निर्णयों ने PLAs की कार्यप्रणाली, अधिकार क्षेत्र और उद्देश्य को स्पष्ट किया है। प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं —

1. **InterGlobe Aviation Ltd. v. N. Satchidanand, (2011) 7 SCC 463**

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि —

- PLAs केवल धारा 22A में सूचीबद्ध लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का ही निपटारा कर सकते हैं।
- सुलह असफल होने पर ही PLA को सीमित निर्णयाधिकार प्राप्त है।
- PLA को पहले सुलह और तत्पश्चात निर्णय की वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।

**महत्व:** यह निर्णय PLAs के अधिकार क्षेत्र की "लक्ष्मण रेखा" निर्धारित करता है।

2. **United India Insurance Co. Ltd. v. Ajay Sinha, (2008) 7 SCC 454**

न्यायालय ने कहा —

- PLA के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं; अधिनियम में अपील का कोई प्रावधान नहीं है।
- PLA एक "संकर संस्था" है — अंशतः सुलहकारी और अंशतः न्यायिक, किंतु न्यायालय नहीं।

**महत्व:** इस निर्णय से PLA के निर्णयों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता सुदृढ़ हुई।

3. **Bar Council of India v. Union of India, (2012) 8 SCC 243**

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया —

- अधिवक्ताओं को PLAs में उपस्थित होने से वंचित नहीं किया गया है।
- PLA तंत्र अधिवक्ताओं की भूमिका को कम नहीं करता, बल्कि नागरिकों के लिए एक सुलभ मंच उपलब्ध कराता है।

**महत्व:** इसने जनसुलभता और विधिक विशेषज्ञता दोनों में संतुलन स्थापित किया।

**4. Canara Bank v. G.S. Jayarama, (2012) 12 SCC 186**

**The Court ruled:**

- PLAs do not have jurisdiction over disputes arising after a contract is terminated.
- Only disputes relating to performance or obligations within an existing public utility contract may be entertained.

  Why this matters: A guardrail on jurisdiction — PLAs cannot adjudicate purely post-contractual disputes.

**5. Chandigarh Administration v. Surinder Kumar, P&H High Court (2014)**

The Court held:

- PLAs can pass interim directions to facilitate conciliation.
- Their role is broader than merely recording settlement.

  **Why this matters:** Recognised the PLA's practical powers to ensure meaningful conciliation.

**6. Rajeev Hitendra Pathak v. Achyut Kashinath Karekar, (2011) 9 SCC 541**

Though relating to consumer forums, the Supreme Court's principle applies equally to PLAs:

- Authorities performing a mix of conciliatory and adjudicatory functions must operate strictly within the procedure laid down by statute.

  **Why this matters:** Reinforced the hybrid nature of PLAs and the need for procedural discipline.

**7. State of Punjab v. Jalour Singh, (2008) 2 SCC 660**

While dealing with Lok Adalats generally, the Supreme Court clarified:

- Lok Adalat awards are final; challenges can only be made via writ jurisdiction.
- Conciliation must be genuine — not a mechanical exercise.

  **Why this matters:** The principle applies equally to PLAs: settlement must be voluntary, reasoned, and fair.

**4. Canara Bank v. G.S. Jayarama, (2012) 12 SCC 186**

निर्णय में कहा गया —

- अनुबंध समाप्त होने के बाद उत्पन्न विवादों पर PLA का अधिकार क्षेत्र नहीं है।
- केवल कार्यरत अनुबंध से संबंधित विवाद ही PLA के समक्ष लाए जा सकते हैं।

**महत्व:** यह निर्णय PLA की अधिकार-सीमा को निर्धारित करता है।

**5. Chandigarh Administration v. Surinder Kumar, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (2014)**

न्यायालय ने कहा —

- PLAs सुलह को प्रभावी बनाने हेतु अंतरिम निर्देश जारी कर सकते हैं।

**महत्व:** यह निर्णय PLA की व्यावहारिक शक्तियों को मान्यता देता है।

**6. Rajeev Hitendra Pathak v. Achyut Kashinath Karekar, (2011) 9 SCC 541**

हालाँकि यह मामला उपभोक्ता मंच से संबंधित था, परंतु न्यायालय ने सिद्धांत स्थापित किया कि —

- कोई भी संस्था जो सुलहकारी एवं निर्णयात्मक दोनों भूमिकाएँ निभाती है, उसे विधि में निर्दिष्ट प्रक्रिया का कठोरता से पालन करना चाहिए।

**महत्व:** PLA की द्वैध प्रकृति और प्रक्रिया अनुशासन पर बल दिया गया।

**7. State of Punjab v. Jalour Singh, (2008) 2 SCC 660**

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा —

- लोक अदालतों के निर्णय अंतिम होते हैं; केवल writ jurisdiction के अंतर्गत ही चुनौती दी जा सकती है।
- सुलह वास्तविक और स्वैच्छिक होनी चाहिए, औपचारिकता मात्र नहीं।

**महत्व:** यह सिद्धांत PLAs पर भी समान रूप से लागू होता है।

**Emerging Principles from Case Law**

1. PLAs are a unique hybrid institution — not a court, not a mere conciliator. They follow a statutory "conciliation-cum-adjudication" model.
2. Jurisdiction is limited only to disputes involving public utility services.
3. Awards are final, enforceable, and cannot be appealed — only judicial review is open.
4. Procedure must remain simple, informal, and citizen-friendly — but still fair.
5. Conciliation is the heart of the system; adjudication is the last resort.

## न्यायालयों से विकसित मुख्य सिद्धांत

1. PLAs एक अद्वितीय "संकर संस्था" हैं — न पूर्ण न्यायालय, न केवल सुलहकर्ता।
2. अधिकार क्षेत्र केवल लोकोपयोगी सेवाओं तक सीमित है।
3. निर्णय अंतिम, बाध्यकारी एवं प्रवर्तनीय हैं; केवल न्यायिक समीक्षा संभव है।
4. प्रक्रिया सरल, अनौपचारिक और नागरिक-मित्र होनी चाहिए।
5. सुलह ही प्रणाली का मूल है; निर्णय अंतिम उपाय है।

# FAQs

## FAQs on Permanent Lok Adalat (PLA)

Below are important questions and their answers related to the Permanent Lok Adalat (Permanent Lok Adalat - PLA). These are based on the Legal Services Authorities Act, 1987 (Sections 22A-22E).

1. **What is a Permanent Lok Adalat?**

   A Permanent Lok Adalat is a permanent alternative dispute resolution mechanism established for the quick resolution of disputes related to public utility services (such as electricity, water, transport, insurance, etc.). It differs from regular Lok Adalats and is constituted by notification from the Central or State Legal Services Authority.

2. **Who establishes the PLA?**

   The PLA is established through notification by the National Legal Services Authority (NALSA) or the State Legal Services Authority (SLSA). Each PLA consists of a Chairperson (a former District Judge) and two expert members (experienced in public utility services).

3. **What is the jurisdiction of the PLA?**

   The jurisdiction of the PLA is limited to disputes related to public utility services, such as transport, electricity supply, hospital services, etc. The value of the dispute should be up to 1 Crore rupees (the Central Government may increase the limit), and criminal cases are excluded.

4. **How is a case filed in the PLA?**

   Any party can file an application in the PLA before approaching the court. The application is in written form, including facts, issues, and evidence. After filing the application, the party cannot approach the court.

# प्रश्नोत्तर

## स्थायी लोक अदालत (पीएलए) पर सामान्य प्रश्नोत्तर (FAQs)

नीचे स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat - PLA) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। ये विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (धारा 22A-22E) पर आधारित हैं।

**1. स्थायी लोक अदालत क्या है?**

स्थायी लोक अदालत एक स्थायी वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं (जैसे बिजली, पानी, परिवहन, बीमा आदि) से जुड़े विवादों का तेजी से निपटारा करने के लिए स्थापित की जाती है। यह लोक अदालतों से अलग होती है और केंद्रीय या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना द्वारा गठित की जाती है।

**2. पीएलए की स्थापना कौन करता है?**

पीएलए की स्थापना केंद्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) द्वारा अधिसूचना के माध्यम से की जाती है। प्रत्येक पीएलए में एक अध्यक्ष (पूर्व जिला न्यायाधीश) और दो विशेषज्ञ सदस्य (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में अनुभवी) होते हैं।

**3. पीएलए की अधिकारिता क्या है?**

पीएलए की अधिकारिता केवल सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों तक सीमित है, जैसे परिवहन, बिजली आपूर्ति, अस्पताल सेवाएँ आदि। विवाद का मूल्य 1 करोड़ रुपये तक होना चाहिए (केंद्र सरकार सीमा बढ़ा सकती है), और अपराध-संबंधी मामले बाहर होते हैं।

**4. पीएलए में मामला कैसे दायर किया जाता है?**

कोई भी पक्षकार विवाद को कोर्ट में ले जाने से पहले पीएलए में आवेदन दायर कर सकता है। आवेदन लिखित रूप में होता है, जिसमें तथ्य, मुद्दे और साक्ष्य शामिल होते हैं। आवेदन के बाद पक्षकार कोर्ट की ओर रुख नहीं कर सकता।

5. **What is the procedure in the PLA?**

The PLA first attempts for conciliation. Written statements, documents, and evidence are sought from the parties. If conciliation succeeds, an award is passed on the agreement. If it fails (and the dispute is non-criminal), a decision is made on merits. The procedure is based on principles of natural justice, not based on the CrPC or Evidence Act.

6. **What is the legal validity of award of the PLA?**

The award is final and binding, treated as equivalent to a civil court decree. It is passed by majority and is not appealable. If enforcement is needed, it can be sent to the local civil court.

7. **Which cases do not come under the PLA?**

Criminal cases, disputes involving property value exceeding 1 crore, and disputes unrelated to public utility services (such as general commercial or tax disputes) do not fall under the PLA's scope, nor do cases of criminal nature.

8. **What are the benefits of the PLA?**

The PLA ensures quick, inexpensive, and amicable resolution of disputes. It reduces court backlog and strengthens the right to speedy justice under Article 21. The award is immediately enforceable.

9. **How are members of the PLA appointed?**

The Chairperson is a former District Judge or high judicial officer. The other two members are appointed by the Central/State Government on the recommendation of the Legal Services Authority, and they must be experienced in the relevant service. The terms are prescribed by the Central Government.

10. **Any important judgments related to PLA?**

In the Supreme Court judgment of Canara Bank v. G.S. Jairama (2022), it was clarified that upon failure of conciliation, the PLA has the authority to decide on merits. In the Rajasthan High Court's suo motu case (2025), the state was directed to activate PLAs.

5. **पीएलए में प्रक्रिया क्या है?**

पीएलए पहले सुलह (conciliation) की कोशिश करती है। पक्षकारों से लिखित कथन, दस्तावेज और साक्ष्य मांगे जाते हैं। यदि सुलह हो जाती है, तो समझौते पर अवार्ड पारित होता है। विफल होने पर (अपराध न होने पर) विवाद का गुण पर निर्णय लिया जाता है। प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय पर आधारित होती है, न कि CrPC या साक्ष्य अधिनियम पर।

6. **पीएलए के अवार्ड की कानूनी वैधता क्या होती है?**

अवार्ड अंतिम और बाध्यकारी होता है, जो सिविल कोर्ट के डिक्री के समान माना जाता है। यह बहुमत से पारित होता है और अपील के योग्य नहीं। यदि निष्पादन की जरूरत हो, तो स्थानीय सिविल कोर्ट में भेजा जा सकता है।

7. **पीएलए में कौन से मामले नहीं आते?**

अपराध-संबंधी मामले, विवादित संपत्ति के मूल्य 1 करोड़ से अधिक वाले मामले, और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से असंबंधित विवाद (जैसे सामान्य व्यावसायिक या कर विवाद) पीएलए के दायरे में नहीं आते अथवा अपराधिक प्रकृति के मामले।

8. **पीएलए का लाभ क्या है?**

पीएलए विवादों का तेज, सस्ता और सौहार्दपूर्ण निपटारा सुनिश्चित करती है। यह कोर्ट की भीड़ कम करती है और अनुच्छेद 21 के तहत तेज न्याय के अधिकार को मजबूत करती है। अवार्ड तुरंत निष्पादनीय होता है।

9. **पीएलए में सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है?**

अध्यक्ष पूर्व जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायिक पदाधिकारी होता है। अन्य दो सदस्य केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं, जो संबंधित सेवा में अनुभवी होते हैं। शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होती हैं।

10. **पीएलए से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय?**

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय कनारा बैंक बनाम जी.एस. जयरामा (2022) में स्पष्ट किया गया कि सुलह विफल होने पर पीएलए को गुण पर निर्णय लेने का अधिकार है। राजस्थान उच्च न्यायालय के स्वतः संज्ञान मामले (2025) में राज्य को पीएलए सक्रिय करने का निर्देश दिया गया।

**11. What happens if a party is absent in the PLA?**

If a party is absent, the PLA may decide based on the evidence and facts of the present party under the principles of natural justice in Section 22D. Without prejudice to the absence, a reasonable opportunity is given to the party (as per the duty of good faith cooperation under Section 22C(6)). Ex parte decisions are possible if there is no cooperation.

**12. Does the PLA have to hear evidence from both parties?**

Yes, under Section 22C(3), written statements, documents, and evidence from both parties are obtained and shared with the other side. There is no formal procedure; it is entirely based on the merits of the dispute. As per Section 22D, the PLA is exempt from CrPC or the Evidence Act and operates on fairness and equity.

**13. Is it necessary to complain to the government undertaking before filing a complaint in the PLA?**

No, it is not mandatory under the Act (Section 22C(1)). Any party can directly file an application in the PLA before going to court. However, practically, a prior complaint facilitates conciliation, and NALSA guidelines emphasize pre-litigation mechanisms.

**14. How is a decision made if conciliation fails in the PLA?**

Under Section 22C(8), if conciliation fails and the dispute is non-criminal, the PLA decides on merits. The procedure is based on natural justice, considering the parties' statements and evidence, without lengthy hearings.

**15. What is the procedure if the value of the dispute in the PLA exceeds 1 crore?**

Under Section 22C(1), disputes exceeding 1 crore in value are outside the PLA's scope. Such cases should be filed in civil courts, consumer forums, or other forums. The Central Government may increase the limit by notification.

## स्थायी लोक अदालत (पीएलए) पर प्रश्नोत्तर (FAQs)

### 11. पीएलए में पक्षकार अनुपस्थित होने पर क्या होता है?

यदि कोई पक्षकार अनुपस्थित रहता है, तो पीएलए धारा 22D के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत उपस्थित पक्षकार के साक्ष्यों और तथ्यों पर निर्णय ले सकती है। अनुपस्थिति को पूर्वाग्रह न मानते हुए, पक्षकार को उचित अवसर दिया जाता है (धारा 22C(6) के सद्भावपूर्ण सहयोग के कर्तव्य के अनुसार)। एक्स पार्टे (ex parte) निर्णय संभव है यदि सहयोग न हो।

### 12. क्या पीएलए में दोनों पक्षकारों की साक्ष्य को सुनना होता है?

हाँ, धारा 22C(3) के तहत दोनों पक्षकारों से लिखित कथन, दस्तावेज और साक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं, जो अन्य पक्ष को भेजे जाते हैं। कोई औपचारिक प्रक्रिया (formal procedure) नहीं होती; यह पूरी तरह विवाद के गुण पर (based on merits) आधारित होता है। धारा 22D के अनुसार, पीएलए CrPC या साक्ष्य अधिनियम से मुक्त है, बल्कि निष्पक्षता और समता पर चलती है।

### 13. पीएलए में शिकायत करने से पूर्व सरकारी उपक्रम में शिकायत करना जरूरी है?

नहीं, अधिनियम में यह अनिवार्य नहीं है। (धारा 22C(1)) के तहत, कोई भी पक्षकार विवाद को कोर्ट में ले जाने से पहले सीधे पीएलए में आवेदन कर सकता है। हालांकि, व्यावहारिक रूप से पूर्व शिकायत सुलह को सुगम बनाती है, और NALSA दिशानिर्देश पूर्व-मुकदमे (pre-litigation) तंत्र पर जोर देते हैं।

### 14. पीएलए में सुलह विफल होने पर निर्णय कैसे लिया जाता है?

धारा 22C(8) के तहत, सुलह विफल होने पर यदि विवाद गैर-अपराधिक है, तो पीएलए गुण पर (on merits) निर्णय लेती है। प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय पर आधारित होती है, जिसमें पक्षकारों के कथन और साक्ष्य विचार किए जाते हैं, बिना लंबी सुनवाई के।

### 15. पीएलए में विवाद का मूल्य 1 करोड़ से अधिक होने पर क्या प्रक्रिया है?

धारा 22C(1) के अनुसार, 1 करोड़ से अधिक मूल्य वाले विवाद पीएलए के दायरे से बाहर होते हैं। ऐसे मामलों में सिविल कोर्ट, उपभोक्ता फोरम या अन्य मंच में आवेदन करें। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा सीमा बढ़ा सकती है।

**16. Is the PLA award appealable?**

No, under Sections 22E(1) and (4), the award is final and binding. There is no provision for appeal. For enforcement, it can be presented as a decree in the local civil court.

**17. What documents are required in the PLA?**

Along with the application, submit facts of the dispute, issues, written statements, and supporting evidence (such as bills, letters, photos) under Section 22C(3). The PLA may request additional documents, but there is no rigid format or fee.

**18. Can the PLA handle cases of criminal nature?**

No, under Section 22C(1), the PLA only deals with non-criminal disputes amenable to settlement. Criminal cases (such as fraud or theft) fall under the jurisdiction of courts or police.

**19. How is a decision passed by majority in the PLA?**

By majority of the three members (Chairperson + two experts) under Section 22E(3). In case of disagreement, the majority decision is final and binding on all parties.

**20. What is the time limit for proceedings in the PLA?**

There is no fixed time limit in the Act, but the objective is speedy resolution. The conciliation process can be completed in 1-3 months, and decisions within 6 months. Unnecessary delays are avoided under natural justice.

**16. पीएलए का अवार्ड अपील योग्य है या नहीं?**

नहीं, धारा 22E(1) और (4) के तहत अवार्ड अंतिम और बाध्यकारी होता है। अपील का कोई प्रावधान नहीं है। निष्पादन के लिए स्थानीय सिविल कोर्ट में डिक्री के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

**17. पीएलए में आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?**

(धारा 22C(3)) के तहत आवेदन के साथ विवाद के तथ्य, मुद्दे, लिखित कथन, समर्थन में साक्ष्य (जैसे बिल, पत्र, फोटो) जमा करें। पीएलए अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकती है, लेकिन कोई कठोर फॉर्मेट या फीस नहीं लगती।

**18. पीएलए अपराधिक प्रकृति के मामलों को संभाल सकती है?**

नहीं, धारा 22C(1) के अनुसार पीएलए केवल समझौता योग्य गैर-अपराधिक विवादों पर कार्य करती है। अपराधिक मामले (जैसे धोखाधड़ी या चोरी) कोर्ट या पुलिस के क्षेत्र में आते हैं।

**19. पीएलए में निर्णय बहुमत से कैसे पारित होता है?**

पीएलए के तीन सदस्यों (अध्यक्ष + दो विशेषज्ञ) के बहुमत से। (धारा 22E(3))के तहत, मतभेद होने पर बहुमत का फैसला अंतिम होता है, जो सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है।

**20. पीएलए की कार्यवाही की समय सीमा क्या है?**

अधिनियम में कोई निश्चित समय सीमा नहीं, लेकिन जल्द निपटारे का उद्देश्य है। सुलह प्रक्रिया 1-3 महीनों में पूरी हो सकती है, और निर्णय 6 महीने के अंदर। प्राकृतिक न्याय के तहत अनावश्यक देरी से बचा जाता है।

## General Problem-Related FAQs on Permanent Lok Adalat (PLA)

1. **What to do if the electricity meter reading at home is incorrect and the bill is higher?**

   Complain to the electricity department. If not resolved, file an application in the PLA. The PLA will attempt conciliation or decide on bill correction.

2. **Remedy if insurance policy claim is not received on time?**

   Claim from the insurance company. For disputes, approach the PLA (insurance service). They will decide on the claim amount and timeliness, and the award will be binding.

3. **Compensation for not getting a seat in train travel or delay?**

   Register a complaint with the railway. On application in the PLA (transport service), conciliation or compensation will be determined.

4. **Problem of contaminated water in water supply?**

   Inform the water department. For persistent issues, complain in the PLA. The PLA can order service improvement or compensation.

5. **Frequent connectivity issues in mobile network?**

   Complain to the service provider. Seek conciliation in the PLA (telephone service). The decision will focus on network improvement.

6. **Damage due to delay in medicine or treatment in hospital?**

   Demand from hospital administration. File an application in the PLA (hospital service). They will ensure compensation or service standards.

7. **If important documents do not reach on time via post?**

   Track with the postal department. For disputes, approach the PLA (postal service). Conciliation may lead to delivery or compensation.

8. **Accident or baggage damage in public bus?**

   Claim from the transport corporation. On complaint in the PLA, compensation or liability will be determined.

## स्थायी लोक अदालत (पीएलए) पर सामान्य समस्या-संबंधी प्रश्नोत्तर (FAQs)

**1. घर में बिजली मीटर रीडिंग गलत होने से बिल अधिक आया, क्या करें?**

विद्युत विभाग को शिकायत दें। यदि न सुलझे, तो पीएलए में आवेदन दायर करें। पीएलए सुलह करवाएगी या बिल सुधार का निर्णय लेगी।

**2. बीमा पॉलिसी में क्लेम समय पर न मिलने पर उपाय?**

बीमा कंपनी से दावा करें। विवाद पर पीएलए (बीमा सेवा) में जाएं। वे क्लेम राशि और समय पर निर्णय देंगे, अवार्ड बाध्यकारी होगा।

**3. ट्रेन यात्रा में सीट न मिलने या देरी पर मुआवजा?**

रेलवे से शिकायत दर्ज कराएं। पीएलए (परिवहन सेवा) में आवेदन पर सुलह या मुआवजा तय होगा।

**4. पानी की सप्लाई में दूषित जल आने की समस्या?**

जल विभाग को सूचित करें। लगातार समस्या पर पीएलए में शिकायत करें। पीएलए सेवा सुधार या मुआवजा का आदेश दे सकती है।

**5. मोबाइल नेटवर्क में कनेक्टिविटी की बार-बार समस्या?**

सेवा प्रदाता से शिकायत करें। पीएलए (टेलीफोन सेवा) में सुलह करवाएं। निर्णय नेटवर्क सुधार पर केंद्रित होगा।

**6. अस्पताल में दवा या इलाज में देरी से नुकसान हुआ?**

अस्पताल प्रशासन से मांगें। पीएलए (अस्पताल सेवा) में आवेदन दें। वे मुआवजा या सेवा मानक सुनिश्चित करेंगे।

**7. डाक से महत्वपूर्ण दस्तावेज समय पर न पहुंचने पर?**

डाक विभाग से ट्रैकिंग करवाएं। विवाद पर पीएलए (डाक सेवा) में जाएं। सुलह से डिलीवरी या मुआवजा हो सकता है।

**8. सार्वजनिक बस में दुर्घटना या सामान क्षति?**

परिवहन निगम से क्लेम करें। पीएलए में शिकायत पर मुआवजा या जिम्मेदारी तय होगी।

9. **Compensation for delayed or damaged baggage in airplane?**

   Report to the airline. File an application in the PLA (air transport) to obtain compensation.

10. **Trouble due to non-collection of garbage in municipal cleaning service?**

    Complain to the corporation. Seek conciliation in the PLA (sanitation system). They can direct regular service.

## Cases Disposed of through Permanent Lok Adalat Under Section 22 B of the Legal Services Authorities Act, 1987 in Rajasthan

| Year | No. of Sittings | Total No. of Cases disposed of | Amount Settled (Rupees) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2638 | 2931 | 180869082 |
| 2022 | 4158 | 4707 | 356083396 |
| 2023 | 4246 | 5878 | 536321705 |
| 2024 | 5037 | 4700 | 588925118 |
| 2025 up to October | 3957 | 3486 | 706029749 |
| **Total** | **20036** | **21705** | **2368229050** |

**9. हवाई जहाज में बैगेज लेट या क्षतिग्रस्त होने पर?**

एयरलाइन से रिपोर्ट करें। पीएलए (हवाई परिवहन) में आवेदन देकर मुआवजा प्राप्त करें।

**10. नगर निगम की सफाई सेवा में कचरा संग्रह न होने से परेशानी?**

निगम को शिकायत दें। पीएलए (स्वच्छता प्रणाली) में सुलह करवाएं। वे नियमित सेवा का निर्देश दे सकती हैं।

## राजस्थान में स्थाई लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारित किये गये प्रकरण (धारा 22 बी, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987)

| वर्ष | बैठकें | निस्तारित किये गये कुल प्रकरणों की संख्या | अवार्ड राशि |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2638 | 2931 | 180869082 |
| 2022 | 4158 | 4707 | 356083396 |
| 2023 | 4246 | 5878 | 536321705 |
| 2024 | 5037 | 4700 | 588925118 |
| जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 | 3957 | 3486 | 706029749 |
| योग | **20036** | **21705** | **2368229050** |

## "न्याय आपके द्वार–लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान"

### रालसा की अनूठी पहल : तीन माह का विशेष अभियान

## सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

स्थायी लोक अदालतो का गठन लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु किया गया है, जिससे आमजन को लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों का सोहार्द्रपूर्ण वैकल्पिक समाधान शीघ्रता से प्रदान किया जा सके तथा लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विभागों एवं संस्थानों को न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जवाबदेही प्रस्तुत की जा सकें।

वर्तमान समय में शहरीकरण होने तथा सरकारी सेवाओं की बढ़ती जटिलताओं के कारण आमजन की षिकायतों एवं विवादों में वृद्धि हुई है। अतः ऐसे विवादों के शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में एक राज्यव्यापी विशेष अभियान **"न्याय आपके द्वार–लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान"** प्रारम्भ किया जा रहा है। उक्त अभियान 10 नवम्बर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक 03 चरणों में संचालित किया जायेगा।

### अभियान के चरण

लोक उपयोगिता सेवाओ से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु राज्यव्यापी विशेष अभियान तीन चरणों में संचालित किया जायेगा :–

- प्रथम चरण (10 नवम्बर 2025 से 10 दिसम्बर 2025)
- द्वितीय चरण (10 दिसम्बर 2025 से 10 जनवरी 2026)
- तृतीय चरण (10 जनवरी 2026 से 10 फरवरी 2026)

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्थायी लोक अदालतों एवं पी एल वी के माध्यम से अभियान को सफल बनाने हेतु कार्ययोजना का संचालन किया जायेगा। उक्त कार्ययोजना का संचालन संलग्न एनेक्श्चर I, II, III के अनुसार होगा।

### अभियान का उद्देश्य

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि :–

- लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायतों का सुलभ एवं त्वरित माध्यम से निस्तारण किया जावें,

- उनका विधिक रूप से परिक्षण कर त्वरित समाधान प्रदान किया जायें,
- विभागीय अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और आम नागरिकों के बीच संवाद एवं सहयोग का वातावरण बने,
- आम जनता का न्याय प्रणाली पर विश्वास और अधिक सुदृढ हो।

## अभियान की विषयवस्तु

लोक उपयोगिता सेवाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाएं सम्मिलित हैः–

1. वायु, सड़क या जल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिए परिवहन सेवाएं
2. डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा
3. किसी भी स्थापना द्वारा जनता को शक्ति, रोशनी या पानी की आपूर्ति
4. लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की प्रणालियां
5. अस्पताल या डिस्पेन्सरी में सेवा
6. बीमा सेवा
7. बैंककारी और वित्तीय संस्था सेवाएं
8. आवासीय सेवाएं
9. लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस सेवा
10. शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाएं
11. आवास और भू सम्पदा सेवाएं

उपरोक्त लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु 10 नवम्बर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से इन शिकायतों का निवारण किया जावेगा।

## आवेदन हेतु प्रक्रिया

आवेदक द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायतों हेतु निम्न प्रकार से आवेदन किया जा सकेगा :–

- लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित शिकायतों हेतु आवेदक द्वारा शिकायत आवेदन पत्र (प्रारूप) के माध्यम/हस्तलिखित पत्र से प्रस्तुत की जायेगी। शिकायत प्रस्तुत करने हेतु आवेदन का प्रारूप संलग्न है।
- इस अभियान हेतु रालसा द्वारा एक मोबाईल नम्बर निर्धारित किया जायेगा जिस पर व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदनकर्ता अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा।
- शिकायत प्राप्त होने पर रालसा द्वारा संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को शिकायत तत्काल प्रेषित की जायेगी।

- शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 24 घंटे के अन्दर एक पैरालीगल वॉलियन्टर नामित किया जायेगा जो संबंधित आवेदनकर्ता से 48 घंटों के भीतर व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर उसकी शिकायत से संबंधित फोटोग्राफ्स्/वीडियोग्राफ्स् स्वयं लेकर तथा आवेदनकर्ता से अन्य सुसंगत दस्तावेज प्राप्त कर आवेदनकर्ता की शिकायत को सत्यापित करते हुए अपनी रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।
- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पैरालीगल वॉलियन्टर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सत्यापित शिकायत मय रिपोर्ट के आधार पर एक पैनल अधिवक्ता या लीगल एड डिफेंस काउन्सिल को नामित करेगें जो संबंधित स्थायी लोक अदालत में निर्धारित आवेदन प्रस्तुत करेगें तथा औपचारिक रूप से शिकायत प्रस्तुत कर आवेदक की ओर से शिकायत के अंतिम निस्तारण तक आवेदन का प्रतिनिधित्व करेगें।
- स्थायी लोक अदालत द्वारा शिकायत का प्रारम्भिक परीक्षण कर संबंधित विपक्षीगण को नोटिस प्रेषित किया जायेगा। अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत द्वारा प्राप्त शिकायतों की दैनिक सुनवाई में सुलह व समाधान को प्राथमिकता प्रदान करेगें तथा आपसी समझाईश से हुए समझौतो के आधार पर पारित पंचाट एवं आदेशों को निर्धारित मोबाइल नम्बर पर व्हाट्सप पर अपलोड किया जायेगा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इसकी पालना सुनिश्चित की जायेगी।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आवेदक को सुनवाई की तारीख से अवगत कराया जायेगा। शिकायत की सुनवाई के दौरान वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से संबंधित आवेदक पक्षकार को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय हेतु वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।
- प्रकरण का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के स्थाई लोक अदालत में विधिवत पंजीकरण से उसके अन्तिम निस्तारण तक प्रत्येक पेशी पर उसका अनुसरण (Follow Up) किया जायेगा।

## अधिकृत कर्मचारी एवं मोबाइल नम्बर (9119365734)

इस अभियान के सफल संचालन हेतु एवं आमजन के अधिक से अधिक आवेदन आमंत्रित करने हेतु रालसा द्वारा एक विशेष मोबाइल नम्बर : **9119365734** निर्धारित किया गया है, जिस पर लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित समस्त आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगें। उक्त मोबाइल का व्हाट्सएप नम्बर **9119365734** है। साथ ही प्राप्त होने वाले समस्त आवेदन पत्रों को संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहुंचाने हेतु एक कर्मचारी को अधिकृत किया गया है।

## नोडल अधिकारी

इस अभियान की संपूर्ण निगरानी एवं संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से समन्वय स्थापित करने हेतु रालसा द्वारा एक सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल

अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त अधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायतों का संकलन कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

### अभियान का प्रचार एवं जागरूकता

आमजन को स्थायी लोक अदालत के विषेश अभियान की जानकारी देने एवं उन्हें शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया से जोडने हेतु अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत संबंधित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करके अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर समय–समय पर प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता कैम्प आयोजित करेंगें।

### अभियान का पर्यवेक्षण

1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा स्थायी लोक अदालत में पारस्परिक समन्वय स्थापित करने के लिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत द्वारा आपसी समन्वय से स्थायी लोक अदालत की इस अभियान के तहत प्राप्त शिकायतों की प्रतिदिन कॉज–लिस्ट रालसा के अधिकृत मोबाईल नम्बर पर व्हाट्सप के माध्यम से अपलोड करेंगे।
2. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं पूर्णकालिक अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत आपसी समन्वय से स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित निर्णयों को भी उक्त अधिकृत मोबाईल नम्बर पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित शिकायतों के शीघ्र निस्तारण हेतु की गई प्रभावी कार्यवाही की प्रतिदिन रिपोर्ट रालसा के अधिकृत अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
4. रालसा के अधिकृत अधिकारी द्वारा समस्त सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई दिन प्रतिदिन की रिपोर्ट संकलित की जायेगी। उक्त रिपोर्ट श्रीमान सदस्य सचिव महोदय रालसा के समक्ष प्रत्येक सप्ताह आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

# आवेदन प्रारूप

सेवा में,

**श्रीमान सदस्य सचिव महोदय,**

**राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,**

**जयपुर।**

विषय: विधिक सहायता / काउंसलिंग चाहने बाबत।

महोदय,

उपयुक्त विषयानुसार निवेदन है कि प्रार्थी / प्रार्थिया —

नाम : ..........................................................................................................

पिता / पति का नाम : ..........................................................................................

आयु : .................... वर्ष मोबाइल नं. : ...........................................................

पता : ..........................................................................................................

वार्ड नं. : ...................... थाना : ................................ जिला : ...............................

निवासी है।

प्रार्थी / प्रार्थिया को निम्नलिखित समस्या / विवाद / लोक उपयोगी सेवा की आवश्यकता है -

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

(समस्या का संक्षिप्त विवरण दें।)

क्या प्रार्थी / प्रार्थिया ने पूर्व में भी इस संबंध में किसी संस्था / थाने / न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकरण में शिकायत या आवेदन किया है?

☐ हाँ ☐ नहीं

प्रार्थी / प्रार्थिया को उपरोक्त विषयक न्यायसंगत विधिक सहायता / परामर्श प्रदान करने की कृपा की जाए।

हस्ताक्षर : ........................... दिनांक : .....................

---

संलग्न दस्तावेज़:

1. पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (जैसे – आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / राशन कार्ड आदि)।
2. अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रति, उपलब्ध फोटो या वीडियोग्राफी। (यदि प्रार्थी/प्रार्थिया प्रस्तुत करना चाहते हों)।

(जनोपयोगी सेवाओं में सम्मिलित हैं :- सड़क/रेल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिए परिवहन सेवा; डाक या टेलीफोन सेवा; बिजली या पानी की आपूर्ति; लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की प्रणाली संबंधी; अस्पताल या डिसपेंसरी में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं; बीमा सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्था सेवाएं, एलपीजी सेवा, शैक्षिक अथवा शैक्षणिक संस्थानों तथा आवासीय एवं भू-सम्पदा सेवाएं)

ANNEXURE–I

PHASE–I (10 November 2025 – 10 December 2025)

SPECIAL DRIVE: OUTREACH, INTAKE & INITIAL PROCESSING

**1. Objective**

To conduct a statewide outreach campaign, invite complaints relating to Public Utility Services, facilitate registration, and initiate verification and preliminary PLA processing.

**2. WEEK-WISE ACTION PLAN**

**WEEK 1 (10–16 Nov) – Launch & Publicity**

| RSLSA | DLSAs | PLVs | PLAs |
|---|---|---|---|
| Issue Master Circular, release advertisements, launch poster, complaint format & WhatsApp helpline, share register formats. | Form District Task Force; display posters; begin social-media outreach; organise 3–4 awareness camps. | Door-to-door awareness. | Prepare special cause-list mechanism. |

**WEEK 2 (17–23 Nov) – Complaint Collection & Verification**

| DLSAs | PLVs | Panel Lawyers | PLAs |
|---|---|---|---|
| 5–7 facilitation camps; enter every complaint within 24 hrs; assign PLVs. | Verify within 48 hrs with photos/videos. | Begin drafting petitions. | Preliminary scrutiny. |

**WEEK 3 (24–30 Nov) – Filing & Early Hearings**

| DLSAs | PLAs | RSLSA |
|---|---|---|
| File verified complaints; 5–6 camps in new areas. | Priority registration; early conciliation; VC hearings. | Review progress. |

**WEEK 4 (1–10 Dec) – Disposal & Reporting**

| PLAs | DLSAs | PLVs | RSLSA |
|---|---|---|---|
| Intensive hearings, upload cause lists/orders. | 3–4 "resolution camps," daily reports, compile final Phase-I report. | Post-order follow-up. | Consolidated State Report. |

## ANNEXURE–II

## PHASE–II (10 December 2025 – 10 January 2026)

## CONSOLIDATION: COMPLETE VERIFICATION & FULL PLA FILING

### 1. Objective

To complete verification of all pending complaints, ensure filing of all eligible matters, prepare districts for disposal phase.

### 2. WEEK-WISE ACTION PLAN

#### WEEK 1 (10–17 Dec) – Verification Completion

| DLSAs | PLVs | Panel Lawyers | PLAs |
|---|---|---|---|
| Assign pending complaints; 3–4 consolidation camps; update registers. | Complete verification in 48 hrs. | Draft petitions. | Scrutinize pending matters. |

#### WEEK 2 (18–24 Dec) – Filing Push

| DLSAs | Panel Lawyers | PLAs | RSLSA |
|---|---|---|---|
| Convert all verified complaints into PLA petitions; targeted camps. | Daily filing. | Register & prepare January cause lists. | Review and corrective instructions. |

#### WEEK 3 (25–31 Dec) – Pre-Hearing Preparation

| DLSAs | PLVs | PLAs |
|---|---|---|
| Inform complainants of hearing dates; 3–4 pre-hearing camps. | Assist complainants. | Finalise January cause lists. |

#### WEEK 4 (1–10 Jan) – Transition to Disposal

| PLAs | DLSAs | RSLSA |
|---|---|---|
| Start early disposal. | Reconcile registers; submit Month-2 summary. | Statewide review. |

ANNEXURE–III

PHASE–III (10 January 2026 – 10 February 2026)

DISPOSAL & IMPACT DOCUMENTATION

**1. Objective**

To maximise disposal of PLA matters, ensure compliance of awards, and compile a comprehensive State-level impact report.

**2. WEEK-WISE ACTION PLAN**

**WEEK 1 (10–17 Jan) – Intensive Hearings**

| PLAs | DLSAs | PLVs | RSLSA |
|---|---|---|---|
| Daily hearings; prioritise conciliatory resolution. | Ensure complainant presence/VC facilities. | Assist beneficiaries. | Fortnightly review. |

**WEEK 2 (18–24 Jan) – Disposal Acceleration**

| PLAs | DLSAs | PLVs |
|---|---|---|
| Maximise settlements and awards; upload lists/orders. | 3–4 resolution-support camps; strict follow-up. | Post-order support. |

**WEEK 3 (25–31 Jan) – Documentation & Follow-Ups**

| DLSAs | PLAs | RSLSA |
|---|---|---|
| Collect success stories; conduct 3–4 camps; compile compliance status. | Dispose last pending cases. | District performance matrix. |

**WEEK 4 (1–10 Feb) – Campaign Closure & Final State Report**

| PLAs | DLSAs | RSLSA |
|---|---|---|
| Conclude hearings; issue final awards. | Submit comprehensive district report with data, photographs, and certification. | Final State Report + Impact Note to Hon'ble Executive Chairman. |

# NOTE

# NOTE

**RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY**

Rajasthan High Court Campus, Jaipur Bench

Vidhik Seva Sadan, Vidhik Seva Marg, C-Scheme, Jaipur

Phone No. : 0141-2227481, FAX: 2227602,

Toll Free Help Line 15100/9928900900

Email: rslsajp@gmail.com, website:www.rlsa.rajasthan.gov.in

Premier # 9783865551